प्रेस नोट

दिनांकः– 28/01/2021

थाना बहादुरगढ़ पुलिस द्वारा 01 जिला बदर अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाहीः–

जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा आगामी त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए जिला बदर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बहादुरगढ़ पुलिस द्वारा जिला बदर होने के उपरांत भी माननीय न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुये जिला बदर की अवधि में जनपद की सीमा के अन्दर पाये जाने पर 01 जिला बदर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बहादुरगढ़ पर मु0अ0सं0 17/21 धारा 10 उत्तर प्रदेश नियन्त्रण अधिनियम–1970 पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार जिला बदर अभियुक्त का नाम व पताः–

1– ऋषि पुत्र फतवा उर्फ फतेह सिंह निवासी ग्राम जखैड़ा थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।

गिरफ्तार अभियुक्त अवनीश उपरोक्त का आपराधिकः–

1– मु0अ0सं0 17/2021 धारा 10 उत्तर प्रदेश नियन्त्रण अधिनियम–1970 थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।

2– मु0अ0सं0 06/20 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।

गिरफ्तार करने वाली टीमः–

1– उ0नि0 श्री सुरेन्द्र सिंह थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।

2– कां0 709 गोपाल गिरि थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।

3– कां0 645 सुनील कुमार थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।